

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विनियम

प्रवर्धन

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवंबर 1984

भाग 1

सं० 7-1/83-सी०सी०एच०—होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 33 द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों का नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (साधारण) विनियम, 1973 है।

2. इन विनियमों में, जहाँ तक कि संदर्भ से अन्वयात् प्रयोजित न हों,—

- (क) "अधिनियम" से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) अभिप्रेत है,
- (ख) "परिषद्" से अधिनियम के अन्तर्गत होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है,
- (ग) "परिषद्" के कर्मचारी से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए अधिनियम की धारा 11 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नियुक्त किए गए हैं।
- (घ) "कार्यकारिणी समिति" या "समिति" से, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित कार्यकारिणी समिति या समिति अभिप्रेत है;
- (ङ) "युव प कर्मचारिवृन्द" के अन्तर्गत ऐसे सफूतरी, बयारदार, कपरासी, शौकीदार, सार्वजनिक भी हैं जो धारा 11 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नियुक्त किए गए हैं ;
- (च) "गिरीसक" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त पिकिरीसक अभिप्रेत है,
- (छ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य अभिप्रेत है;
- (ज) "अनुसूचिवी" कर्मचारिवृन्द" से अधिनियम की धारा 11 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नियुक्त अधोसक, प्रशासनिक, लेखाकार, सिकिरी, धातुसिकिरी, टाइपिस्ट और मैकेनिकल धारदार अभिप्रेत है,
- (झ) "प्रत्यक्ष" भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 से "रेगिस्ट्रार" शब्द के लिए "प्रत्यक्ष" शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः इससे "सहायक" शब्द का प्रयोग न करके "प्रत्यक्ष" शब्द का ही प्रयोग किया गया है से अधिनियम की धारा (2) के अन्तर्गत परिषद् का निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष अभिप्रेत है,
- (ञ) "उपाध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत परिषद् का निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट उपाध्यक्ष अभिप्रेत है,
- (ट) "उपनिर्देश" या "सचिव" से परिषद् का वह उपाध्यक्ष अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 11 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है और जो परिषद् के सचिव के रूप में भी कार्य करता है।
- (ड) "परिषदिक (विजिटर)" से अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिषदिक (विजिटर) अभिप्रेत है।

परिषद् के अधिवेशनों का समय, स्थान और कामकाज करने की संवारी

4—(1) परिषद् के अधिवेशन साधारणतया दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थानों और ऐसी तारीखों तथा समय पर होने जो परिषद् द्वारा विधिकृत किए जाएं;

परन्तु प्रत्यक्ष, निम्नलिखित कार्य करने के लिए, किसी भी समय विशेष अधिवेशन, कम्बू दिन की सूचना देकर, बुला सकता है—

- (i) किसी ऐसे साधारणतया विषय के बारे में कार्यवाई करने के लिए, जिस पर परिषद् द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है,
- (ii) विनियम 8(1)(ख) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए,
- (iii) परिषद् के कुछ सदस्यों में से कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अधिवेशन की जाने पर किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो परिषद् के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हो किन्तु खण्ड (ii) में निर्दिष्ट न हो।

(2) किसी विशेष वर्ष में किया गया परिषद् का अथवा अधिवेशन, उक्त वर्ष के लिए परिषद् का, वार्षिक अधिवेशन होगा।

5. विनियम 4(1) के परन्तुक में निर्दिष्ट अधिवेशनों में केवल उन्हीं विषयों पर विचार करने के लिए अधिवेशन बुलाना तथा है।

अधिवेशनों की सूचना

6. (1) विनियम 4 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत या विनियम 8 (1) (ख) के अन्तर्गत परन्तुक के अन्तर्गत बुलाए गए विशेष अधिवेशन से किन्तु प्रत्यक्ष अधिवेशन की सूचना अधिनियम द्वारा परिषद् के प्रत्यक्ष अध्यक्ष को अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले देनी चाएगी।

(2) परिषद् के प्रत्यक्ष अधिवेशन की सूचना आग में जाने जाने के अन्तर्गत के अन्तर्गत देनी चाएगी किन्तु किसी सूचना के अन्तर्गत न होने से किसी अधिवेशन की कार्यवाही अधिवेशन नहीं होगी।

कार्यक्षेत्र के कामकाज

7.(1) अधिनियम अधिवेशन की सूचना के साथ प्रारम्भिक कार्यक्षेत्र के कामकाज-पत्र जारी करेगा जिसमें अधिवेशन में किया जाने वाला कामकाज और उन सभी प्रस्तावों की विवरणस्तु, जिसको प्रस्तुत करने की सूचना निर्दिष्ट रूप में उसके पास पहले पहुंच चुकी है, तथा प्रस्तावों के नाम सहित किए जाएंगे।

(2) यदि कोई सदस्य ऐसा कोई प्रस्ताव देना चाहता है जो प्रारम्भिक कार्यक्षेत्र के कामकाज में सम्मिलित नहीं है या ऐसे कामकाज में सम्मिलित किसी वर्ष में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव करना चाहता है तो वह अधिनियम की सूचना अधिवेशन के लिए विषय तारीख से कम से कम पूरे 15 दिन पहले देगा।

(3) अधिनियम अधिवेशन के लिए निश्चित तारीख से कम से कम पूरे 15 दिन पहले और विशेष अधिवेशन की सूचना में अधिवेशन की सूचना के साथ, पूरे कार्यक्षेत्र के कामकाज-पत्र जारी करेगा जिसमें वह अधिनियम अधिवेशन से कम से कम देना चाहता है।

(4) यदि कोई सदस्य पूर्ण कार्यपत्री के कार्यालय में सम्मिलित किसी ऐसी मंड में संशोधन पेश करना चाहता है जो प्रारम्भिक कार्य-पत्री के कार्यालय में सम्मिलित नहीं है तो वह उसकी सूचना सचिव को अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कम से कम पूरे 3 दिन पहले देना ।

(5) यदि समय मिले तो सचिव उन सभी संशोधनों की सूची, जिसकी सूचना अध्या (4) के प्राचीन दी गई है, प्रत्येक सदस्य को, उसके कार्यालय के लिए उपलब्ध कराएगा :

परन्तु यदि परिषद् सहमत हो तो अध्यक्ष अधिवेशन में किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने की अनुमति इस तथ्य के होते हुए भी दे सकता है कि ऐसे प्रस्ताव की सूचना इतने दिनों से दी गई कि वह विनिश्चय का शक्य नहीं हो पाया है :

परन्तु यह धीरे कि इस विनियम की कोई बात, विशेष परिस्थितियों में कार्यकारी समिति द्वारा किसी विशेष का निर्देश पत्रिका के समक्ष उसके किसी ऐसे अधिवेशन में करने पर रोक नहीं लगाती है जो इस विनियम के प्राचीन अपेक्षित सूचना की अनुमति देने के लिए कार्यकारी समिति के अधिवेशन के पश्चात् सुरक्षित या प्रति-बद्ध है ।

प्रस्ताव की प्राह्यता

8. (1) अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को निम्नलिखित परिस्थितियों में नामंजूर करेगा :-

- (क) यदि प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में है जो परिषद् के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है,
- (ख) यदि प्रस्ताव में सारभूत रूप से उली प्रश्न को प्रस्ताव या संशोधन के रूप में उठाया गया है जो उस अधिवेशन की तारीख से जिसमें ऐसा प्रश्न पेश किया जाना है, पिछले एक वर्ष के अन्दर परिषद् की इजाजत से पेश किया जा चुका है या वापस ले लिया गया है :

परन्तु ऐसे प्रस्ताव को परिषद् के ऐसे विचार अधिवेशन में प्रहण किया जा सकता है जो परिषद् के सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों की अध्यक्षता पर इस प्रयोजन के लिए बुलाया गया हो,

परन्तु यह धीरे कि इन विनियमों की कोई बात किसी ऐसे विषय पर अपने विचार-विमर्श किए जाने को प्रतिषिद्ध नहीं करती है कि परिषद् को केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के प्राचीन अपने किसी रूप का प्रयोग करते हुए, निर्दिष्ट किया है ।

(ग) यदि प्रस्ताव में कोई लिखित विवादात्मक स्पष्ट रूप से धीरे ठीक-ठीक अभिव्यक्त न किया गया हो और सारभूत रूप से उठाया न गया हो,

(घ) यदि प्रस्ताव में तर्क, निष्कर्ष, व्यंग्योक्ति, वाचन या मान हानिकारक कथन हों :

परन्तु यदि संशोधन करने से प्रस्ताव प्राह्य हो जाता है तो अध्यक्ष उस प्रस्ताव को नामंजूर करने की बजाए उसे संशोधित रूप में प्रहण कर सकता है ।

(2) यदि अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को नामंजूर या संशोधित करेगा है तो सचिव उस सदस्य को, जिसने प्रस्ताव की सूचना दी की, सूचित करेगा, उस प्रस्ताव की नामंजूरी के प्राविक की या जिसे संशोधित रूप में वह प्रस्ताव प्रहण किया गया है उस को, ज्ञानकारी देना ।

भाग 2

परिषद् के अधिवेशनों में कामकाज का संयोजन

9. (1) परिषद् के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता, सम्पन्न करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा, जो अध्यक्षता करेगा वह अधिकार धीरे

उपस्थित दोनों ही अनुपस्थित हों तो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित अध्यक्ष करेगा ।

(2) इस भाग में अध्यक्ष के अति किए गए सभी निर्देश, उस व्यक्ति के प्रति निर्देश समझे जाएंगे जो उस समय अधिवेशन की अध्यक्षता करता है ।

10. यदि अधिवेशन के लिए नियत समय पर गणपूर्ति नहीं होती है तो अधिवेशन तब तक प्रारम्भ नहीं होगा जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती और यदि उस अधिवेशन के लिए नियत समय से तीस मिनट समाप्त होने पर या किसी अधिवेशन के दौरान गणपूर्ति नहीं होती रहती है तो अधिवेशन अधिव्य में ऐसे समय और तारीख के लिए स्थगित हो जाएगा जो अध्यक्ष नियत करे। केन्द्रीय परिषद् के कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

11. (1) परिषद् द्वारा सम्मति किए जाने वाले वाले प्रत्येक विषय का प्रस्तावना, किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने और उसे अध्यक्ष द्वारा परिषद् के समक्ष रखे जाने पर, किया जाएगा ।

(2) मत हाथ उठाकर या विभाजन द्वारा या मतपत्र (बीजट) द्वारा, वीसा भी अध्यक्ष निर्देश करे, लिए जाएंगे :

परन्तु मतपत्र (बीजट) द्वारा मत सभी किए जाएंगे जब तीन सदस्य ऐसा करने की वांछ करे और उधकी योग्य करें ।

परन्तु यह धीरे कि यदि मतपत्र हाथ उठाकर किया जाता है तो विभाजन उठी वहा में किया जाएगा जब कम से कम एक सदस्य उधकी योग्य करें ।

(3) अध्यक्ष विभाजन द्वारा मत देने की पद्धति व्यवहारित करेगा

(4) अध्यक्ष मतदान के परिभाजन की घोषणा करेगा और यह अधिवेशन होगा ।

(5) मत बदलने होने की वहा में अध्यक्ष का द्वितीय या निर्वाचक मत होगा ।

12. जब एक ही, सत्रों के अन्त में प्रस्ताव दो या दो से अधिक सदस्यों के नाम से हो-तब अध्यक्ष यह विनिश्चय करेगा कि किसका प्रस्ताव पेश किया जाएगा और तत्पश्चात् अन्य प्रस्ताव या प्रस्तावों को वापस ले लिया गया समझा जाएगा ।

13. (1) प्रत्येक प्रस्ताव या संशोधन का अनुमोदन आवश्यक है और यदि उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है तो वह वापस ले लिया गया समझा जाएगा ।

(2) जब प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जाता है तो उसका कथन प्रहण करेगा ।

(3) जब प्रस्ताव का इस प्रकार से कथन कर दिया जाता है तब उस पर इस प्रश्न का निरूपण करने के लिए विचार-विमर्श किया जा सकता है कि उसे स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए जबवा कोई सदस्य उस प्रस्ताव में, विनियम 14 धीरे 15 के प्राचीन, संशोधन पेश कर सकता है;

परन्तु अध्यक्ष किसी ऐसे संशोधन को पेश करने की अनुमति नहीं देगा जो मूल प्रस्ताव होने की वहा में, विनियम 8 के प्राचीन प्राह्य होता

14. (1) किसी प्रस्ताव में संशोधन, ऐसे प्रस्ताव से सुसंगत और उसके अधिव्य के अन्तर्गत होगा चाहिए ।

(2) ऐसा संशोधन पेश नहीं किया जा सकता जिसका प्रभाव केवल सकारात्मक मत (बीजट) प्राप्त करता हो ।

(3) अध्यक्ष ऐसे किसी संशोधन को, जो उधकी योग्य से चुनक है, परिषद् के समक्ष रखने के अधिकार कर सकता है ।

15. किसी प्रस्ताव का संशोधन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है :-

- (क) प्रस्ताव में कोई शब्द या शब्दों को निकाल कर, अन्तः स्थापित कर या जोड़ कर,
- (ख) मूल शब्दों के स्थान पर किन्हीं अन्य शब्दों को रख कर।

16. जिस समय किसी प्रस्ताव या संशोधन पर विचार विमर्श हो रहा हो उस समय उसके सम्बन्ध में किसी भी ऐसे संशोधन के प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया जाएगा जो निम्नलिखित है अल्प हो :-

- (क) यथास्थिति, किसी प्रस्ताव या संशोधन का ऐसा संशोधन जैसा कि विनियम 13 में प्रस्तावित है,
- (ख) किसी प्रस्ताव या संशोधन पर विचार विमर्श को किसी निनिर्दिष्ट तारीख और समय या अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव,
- (ग) विचार विमर्श समाप्त करने के लिए प्रस्ताव यथा यह प्रस्ताव कि अब प्रश्न पर मतदान कराया जाए,
- (घ) यह प्रस्ताव कि परिषद् जिस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रही है उस पर विचार करने की बजाए कार्यक्रम की धमाली मंच पर विचार किया जाए :-

परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव या संशोधन पेश नहीं किया जाएगा जिससे हो रहे किसी भाषण में बाधा पड़े,

परन्तु यह धीर कि कोई ऐसा सदस्य, जो प्रश्न के बारे में अधिवेशन के समय पहले ही बोल चुका हो, उपर्युक्त खण्ड (क), (ग) (घ) में निविष्ट स्वरूप का कोई प्रस्ताव पेश नहीं करेगा :

परन्तु यह भी कि खण्ड (ग) और (घ) में निविष्ट प्रस्ताव बिना भाषण के पेश किया जाएगा ।

(2) अध्यक्ष को यह विवेकाधिकार होगा कि वह उपविनियम (1) के खण्ड (घ) में निविष्ट स्वरूप का प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखे या रखने से इनकार करे ।

(3) यदि अध्यक्ष को यह राय है कि विचार-विमर्श समाप्त करने का प्रस्ताव उचित विचार-विमर्श करने के अधिकार का दुरुपयोग नहीं है तो वह तत्काल यह प्रस्ताव रखेगा कि अब प्रश्न पर मतदान कराया जाए और यदि उसका यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जिस मूल प्रस्ताव या संशोधन पर विचार विमर्श हो रहा है वह तत्काल रखा जाएगा ;

परन्तु अध्यक्ष विचार-विमर्श किए जा रहे मूल प्रस्ताव को रखने में पहले उसके प्रस्तावक को उत्तर देने के उसके अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है ।

17. ऐसा कोई प्रस्ताव या संशोधन, जो पेश और अनुमोदित किया गया है, परिषद् की इजाजत के बिना वापस नहीं लिया जाएगा किन्तु यदि कोई सदस्य यह इजाजत देने से विवक्षित प्रकट करता है तो इजाजत दी नहीं गयी होगी ।

18. यदि प्रस्ताव पेश और अनुमोदित कर दिया जाता है तो प्रस्तावक और अनुमोदक से अल्प सदस्य प्रस्ताव के बारे में उस क्रम के अनुसार बोल सकते हैं जैसा अध्यक्ष निर्देश करे :

परन्तु प्रस्ताव या संशोधन का अनुमोदक, अध्यक्ष की अनुमति से, अपने भाषण को यथास्थिति प्रस्ताव या संशोधन का केवल अनुमोदन करने के लिए सीमित रख सकता है और विचार-विमर्श के किसी पञ्चातवर्ती प्रश्न पर उसके बारे में बोल सकता है ।

19. अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष किसी भी समय विचार-विमर्श में सदस्यों की सहायता, किसी मंच की व्यवस्था करने के लिए कोई

प्रापति कर सकता है या कोई मुद्दा जारी या जानकारी दे सकता है ।

20. (1) मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक को यदि अध्यक्ष किसी संशोधन के प्रस्तावक की अनुमति दे दी है तो उसे, अन्तिम उत्तर देने का अधिकार प्राप्त होगा, कोई भी अन्य सदस्य किसी विचार-विमर्श में निजी स्पष्टीकरण देने या उस समय परिषद को सम्बोधित करने वाले सदस्य से प्रश्न पूछने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष की अनुमति से ही एक से अधिक बार बोलेगा, अन्त्या नहीं;

परन्तु कोई सदस्य विचार-विमर्श के किसी प्रश्न पर कोई प्रापति उठा सकता है किन्तु उस मुद्दे पर कोई भाषण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ;

परन्तु यह धीर कि कोई ऐसा सदस्य, जो प्रस्ताव के बारे में बोल चुका है, उस प्रस्ताव में पेश किए गए संशोधन के बारे में फिर से बोल सकता है ।

(2) कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति के विषय पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा,

परन्तु प्रस्ताव पेश करने वाला प्रस्तावक अपना प्रस्ताव पेश करने समय कस मिनट तक बोल सकता है ।

(3) जिस प्रस्ताव या संशोधन पर भाषण किया जाना है वह निश्चय ही उसके विषय वस्तु तक सीमित रहेगा ।

(4) यदि वह सदस्य, जिसके नाम से कोई प्रस्ताव या संशोधन पेश किया जाने वाला है, अधिवेशन में अनुपस्थित है या उसे पेश करने का इच्छुक नहीं है तो कोई दूसरा सदस्य भी अनुमति से उसे पेश कर सकता है ।

21. (1) कोई सदस्य, जो परिषद के समय किसी विषय के बारे में कोई टीका टिप्पणी करना चाहता है, अपने स्थान से उठेगा और अध्यक्ष को सम्बोधित करेगा ।

(2) यदि अध्यक्ष किसी समय बड़ा हो जाता है तो जो सदस्य उस समय बोल रहा है वह तुरन्त अपने स्थान पर बैठ जाएगा ।

22. सदस्य को परिषद के समक्ष कामकाज के बारे में ही सुना जाएगा अन्त्या नहीं ।

23. (1) जब किसी प्रस्ताव में संशोधन पेश और अनुमोदित किया जाता है या जब इस प्रकार के दो या दो से अधिक संशोधन पेश और अनुमोदित किए जाते हैं तब अध्यक्ष उनके बारे में परिषद की राय जानने से पहले परिषद के समक्ष मूल प्रस्ताव और प्रस्तावित संशोधन और या संशोधनों का कथन करेगा या उन्हें पढ़ कर सुनाएगा ।

(2) प्रस्ताव में संशोधन पर पहले मतदान कराया जाएगा ।

(3) यदि प्रस्ताव में एक या एक से अधिक संशोधन पेश किए गए हैं तो अध्यक्ष यह विनियम करेगा कि किस क्रम से उन पर विचार किया जाए ।

24. जब किसी ऐसे प्रस्ताव पर जिसमें अनेक मुद्दे हैं, विचार-विमर्श किया जा चुका है तब अध्यक्ष को यह विवेकाधिकार होगा कि वह प्रस्ताव को विभाजित करे और प्रत्येक या किसी मुद्दे को मतदान के लिए ऐसे अलग अलग रूप में रखे जैसा कि वह ठीक समझे ।

25. (1) यदि अध्यक्ष अत्यावश्यकताओं के कारण आवश्यक समझता है तो वह किसी समय किसी अधिवेशन को अल्प दिनों के लिए या जिस दिन अधिवेशन होने वाला है उसी दिन किसी अल्प समय के लिए स्थगित कर सकता है और उससे लिए कारणों का कथन कर सकता है ।

(2) जब कभी कोई अधिवेशन भविष्य में किसी दिन के लिए स्थगित किया जाता है तब, यदि सम्भव हो तो, सचिव उसके स्थगन की सूचना ऐसे प्रत्येक सदस्य को भेजेगा जो ऐसे अधिवेशन में उपस्थित नहीं था।

(3) जब अधिवेशन भविष्य में किसी दिन के लिए स्थगित हो गया है तब अध्यक्ष विचार करने वाले कारणों से ऐसे अधिवेशन का दिन पुनः परिवर्तित कर सकता है और सचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसे परिवर्तन की लिखित सूचना भेजेगा।

(4) भविष्य में किसी दिन के लिए स्थगित अधिवेशन में किसी ऐसे सदस्य को, जो विचार किए जाने के लिए पूर्ववर्ती दिन से अश्विगत है, कार्यक्रम के अन्य विषयों पर प्राथमिकता दी जाएगी किन्तु तब नहीं तब कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश दे।

(5) अध्यक्ष या कोई सदस्य या तो अधिवेशन प्रारम्भ होने के समय या अधिवेशन के दौरान किसी विशेष मद पर विचार विमर्श समाप्त हो जाने के पश्चात्, कामकाज के कार्यक्रम में किसी परिवर्तन का सुझाव दे सकता है और यदि परिषद् इससे सहमत होती है तो ऐसा परिवर्तन कर दिया जाएगा।

(6) स्थगित अधिवेशन में किसी ऐसे विषय पर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा जो मूल अधिवेशन के कार्यक्रम में नहीं था।

(7) स्थगित अधिवेशन के लिए नवीं गणपूर्ति आवश्यक होगी जो अधिवेशन के लिए आवश्यक है।

26. (1) अध्यक्ष आपत्ति के उन सभी मुद्दों के बारे में विनिश्चय करेगा जो उठाए जाएं और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) यदि कोई प्रश्न किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित प्रश्नों के बारे में उठता है जिसके लिए विनियमों में कोई उपबन्ध नहीं है तो अध्यक्ष उसका विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) अध्यक्ष किसी ऐसे कामकाज के बारे में, जिस पर विचार और विनिश्चय करना, परिषद् या कार्यकारिणी समिति के लिए, आवश्यक हो, यह निर्देश देगा कि वह कामकाज परिषद् या कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के बीच परिषद परिष्कारित करके दिया जाएगा।

परन्तु यदि, यथास्थिति, परिषद् के इस सदस्य या कार्यकारिणी समिति के तान सदस्य यह चाहते हैं कि किसी विशेष विषय या विनिश्चय परिष्कारित की बजाए अधिवेशन में किया जाए तो वह विषय केन्द्रीय परिषद् या कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन में रखा जाएगा।

(4) यदि कोई संकल्प या रिपोर्ट उपर्युक्त रूप में परिष्कारित की जाती और उस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से बहु-संख्यक सदस्यों ने उसे बहु-मोदित कर दिया है तो वह उसी प्रकार हस्ताक्षर होगा जिस प्रकार कि परिषद् या कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन में पारित किया गया कोई संकल्प होता है।

27. अध्यक्ष के विकानुसार प्रेस के चार प्रतिनिधियों को और अन्य परिदर्शकों को जो किसी एक समय पर चार से अधिक नहीं, सचिव से प्राप्त अनुज्ञापत्र (परमिट) प्राप्त करने पर अधिवेशन में प्रवेश करने दिया जा सकता है। प्रेस के प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे कार्यवाहियों की अपनी रिपोर्टों के प्रकाशन के बारे में सचिव का पुराना नियम प्राप्त करें। अध्यक्ष किसी भी समय बन्द करने में अधिवेशन कर सकता है और ऐसी वृत्त में सभी परिदर्शकों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे वहाँ से चले जाएं।

भाग-3

परिषद् का कार्यवृत्त

28. परिषद् के अधिवेशनों की कार्यवाहियाँ मुद्रित कार्यवृत्त के रूप में परिष्कारित की जाएंगी जो पुष्टिकरण के पश्चात् अध्यक्ष के हस्ताक्षर से

29. प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त की एक प्रति अधिवेशन हो जाने के पश्चात् से दस दिन के अन्दर अध्यक्ष के समक्ष दस्तुत की जाएगी और वह उसे अनुप्रमाणित करेगा और तब उसकी प्रतियाँ प्रत्येक सदस्य को अधिवेशन हो जाने के पश्चात् से तीस दिन के अन्दर भेजी जाएगी।

30. प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त में ऐसे प्रस्तावों और संशोधनों को, उनके प्रस्तावकों और अनुशोधकों के नाम सहित सम्मिलित किया जाएगा जो वेक और पारित या अस्वीकृत किए गए हों किन्तु उनमें न तो ऐसी कोई धाराबद्धता होगी और न किसी ऐसी टीका-टिप्पणी का अन्विलेख होगा जो अधिवेशन में किसी सदस्य ने की हो।

31. यदि कार्यवृत्त की मुद्रता के बारे में कोई आपत्ति, सचिव द्वारा उसके भेजे जाने के तीस दिन के अन्दर प्राप्त होती है तो तथा यथा अनिलिखित और अनुप्रमाणित कार्यवृत्त के साथ वह आपत्ति, परिषद् के प्राथमिक अधिवेशन के समक्ष पुष्टिकरण के लिए रखी जाएगी।

परन्तु यदि अधिवेशन में परिषद् द्वारा किए गए किसी विनिश्चय के बारे में कोई आपत्ति सचिव द्वारा ऐसे विनिश्चय अधिवेशन के कार्यवृत्त के भेजे जाने के तीस दिन के अन्दर प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे विनिश्चय को प्राथमिक अधिवेशन में कार्यवृत्त के पुष्टिकरण से पहले उस वृत्त में लागू किया जा सकता है जब ऐसा करना समीचीन है,

परन्तु यह और कि अध्यक्ष यह निर्देश दे सकता है कि परिषद् के विनिश्चय पर कार्यवाही उपर्युक्त तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले की जाए।

32. पुष्टिकरण के पश्चात् परिषद् का कार्यवृत्त यथासंभव शीघ्रता से शीटों में ठीका किया जाएगा और उसे क्रमानुसार पुष्ठांकित किया जाएगा जिससे कि वे उस जितने में रखे जा सकें जो स्थायी रूप से परिष्कारित की जाएगी। परिषद् के प्रत्येक सदस्य को ऐसी जितने की एक प्रति मुक्त दी जाएगी और जितना को ऐसी प्रतियाँ उसकी कीमत पर विक्रय की जाएंगी जो परिषद् द्वारा तय की जाए।

33. परिषद् के अधिवेशनों में किए गए विचार विमर्श और टीका टिप्पणी की रिपोर्ट परिषद् के सदस्यों के लिए यथासंभव सही रूप से रखी जाएगी। अधिवेशनों की अधीनकार कार्यवाहियाँ जो, औपचारिक मान्यता प्राप्त, कार्यालय में रखी जाएगी और सदस्यों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी। कार्यवाहियों की पूर्ण या आंशिक रूप में प्रति किसी ऐसे सदस्य को दी जाएगी जो उनके लिए आवेदन करे। ऐसी प्रति "गोपनीय" होगी और निरालेख का भुगतान करने पर अध्यक्ष द्वारा ही जाएगी और ऐसी प्रति प्रतिलिपि तैयार करने के खर्च से अधिक नहीं होगी - अन्य कमरे में मुद्रित कार्यवाहियों की कोई प्रति नहीं दी जाएगी किन्तु सदस्य ऐसी कार्यवाहियों का निरीक्षण कर सकते हैं।

भाग 4

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य

34. अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम के उपबन्धों, विनियमों और परिषद् के स्थायी आदेशों में दिए गए हों, वह ऐसे कार्य करेगा जो वह उन उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक समझे किन्तु परिषद् की स्थापना की गई है।

अध्यक्ष यथासंभव वृत्तियों में यथासंभव कार्यवाही कर सकता है और इस तथ्य की हतिला कार्यकारिणी समिति तथा परिषद् को दे सकता है, परन्तु ऐसे मामलों में, जो व्यापक नीति या सिद्धान्त के हों या जिनके लिए संभूत किए गए कष्ट में से दस हजार रुपये से अधिक व्यय होना हो, कोई कार्यवाही अनुशोधन की प्रत्याशा में नहीं की जाएगी।

35. यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है या यदि वह अपने पद की शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन करने में किसी कारणवश असमर्थ है तो उसके स्थान पर उपाध्यक्ष कार्य करेगा तथा अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का पालन करेगा।

भाग 5.

पद स्थान और प्राकृतिक रिक्तियों का पता जाना

36. यदि कोई सदस्य परिषद् में अपने स्थान का त्याग करना चाहता है तो वह लिखित रूप में अपना त्यागपत्र उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट तारीख से या अध्यक्ष को उसका पत्र प्राप्त होने की तारीख से, इनमें जो भी पश्चात्पूर्वी तारीख हो, सम्बन्धित संकेत द्वारा पुष्टिकरण के पश्चात्, प्रकाशनी होगा।

37. यदि किसी सदस्य की मृत्यु या उसके पदस्थान के कारण प्राकृतिक रिक्ति होती है तो अध्यक्ष तत्काल इसकी रिपोर्ट प्राथमिक कार्यवाई करने के लिए, केन्द्रीय सरकार को करेगा।

भाग 6

कार्यकारिणी समिति-उसके कर्तव्य, अधिकार और अधिकार

38. कार्यकारिणी समिति के अधिकार साधारणतया उन्हीं विधियों द्वारा शासित होंगे जो परिषद् के अधिकारों की लागू होंगी।

39. यदि कार्यकारिणी समिति के अधिकार के लिए नियत समय पर गणपूर्ति नहीं होती है तो वह अधिकार तब तक प्रारम्भ नहीं होगा जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती और यदि अधिकार के लिए नियत समय से एक महीने का अवकाश होने पर या किसी अधिकार के दौरान गणपूर्ति नहीं होती रहती ऐसी तो अधिकार अधिकार में ऐसी तारीख और समय के लिए स्थगित हो जाएगा जो अध्यक्ष नियत करे। कार्यकारिणी समिति के कुछ सदस्यों में से एक तिहाई से गणपूर्ति होगी।

40. यदि अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो उपस्थित सदस्य, ऐसे सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

41. जब यदि कार्यकारिणी समिति का अधिकार गणपूर्ति कमी के कारण स्थगित किया जाता है तो स्थगित अधिकार के लिए कोई गणपूर्ति प्रावश्यक नहीं होगी।

42. (1) कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्य की पश्चात्तरि उसके निर्वाचन की तारीख से छह महीने के लिए अपनी कार्यकारिणी समिति के निर्वाचन के पश्चात् कार्यकारिणी समिति द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिए जाने तक, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्वी हो, होगी।

इसमें किसी बात के होते हुए भी, कार्यकारिणी समिति उस परिषद् का पर्यवेक्षण हो जाने पर, जिसने उस समिति को निर्वाचित किया है, मध्यस्थ नहीं रहेगी, उसे ही परिषद् का पर्यवेक्षण किन्हीं कारणों से हुआ हो।

(2) कार्यकारिणी समिति का सदस्य पुनः निर्वाचित होने का पात्र होगा।

43. कार्यकारिणी समिति, परिषद् के किसी ऐसे सदस्य को, जो कार्यकारिणी समिति का सदस्य नहीं है कार्यकारिणी समिति के किसी अधिकार में उपस्थित रहने के लिए प्रार्थित कर सकती है। इस प्रकार प्रार्थित सदस्य को कार्यकारिणी समिति द्वारा विचार विमर्श में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

44. परिषद् का अधिकार होने से पहले एक सप्ताह के अन्दर कार्यकारिणी समिति साधारणतया अपना अधिकार उसी स्थान पर करेगी जिस स्थान पर परिषद् का अधिकार होने वाला है। कार्यकारिणी समिति

के अन्य अधिकार ऐसे अन्य सदस्यों और अन्य स्थानों पर ही सकते हैं जो अध्यक्ष अवधारित करे।

कार्यकारिणी समिति के ऐसे अधिकारों की सूचना और कार्यकारिणी अधिकार होने से कम से कम साप्ताहिक दिन पहले साधारणतया ही जाएगी।

45. कार्यकारिणी समिति किन्हीं ऐसे विषयों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार करेगी जिन्हें परिषद् या अध्यक्ष ने निर्दिष्ट किया है।

46. कार्यकारिणी समिति प्राथमिक तथा विचार और परीक्षाओं की सुविधाओं से संबंधित ऐसी रिपोर्टों पर विचार करेगी जो निरीक्षणों परिषदों द्वारा प्रस्तुत की गईं हैं और तब तक एक रिपोर्ट परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार करेगी।

47. कार्यकारिणी समिति परिषद् के विनिर्देशों को कार्यान्वित करने में परिषद् की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी और उसे अन्य समितियों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जाने वाले विषयों को छोड़कर, अन्य सभी विषयों के बारे में परिषद् की ओर से विनिर्देश करने की शक्ति होगी। वह परिषद् के उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगी जो प्राकृतिक प्रकृति के हों।

परन्तु यह ऐसे विषयों को लागू नहीं होगा जो व्यापक नीति या सिद्धान्त के हों या जिनके लिए परिषद् के संयुक्त रूप से कर्मचारी उपस्थित में से प्रति वर्ष वार्षिक हिसाब करने से अधिक व्यय होगा।

48. कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक अधिकार के कार्यभार की एक-एक प्रति अधिकार हो जाने के दिन से पन्द्रह दिन के अन्दर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी और उसके द्वारा अनुमोदित कर दी जाने के पश्चात् प्रत्येक सदस्य को, अधिकार हो जाने के दिन से बीस दिन के अन्दर देना ही जाएगी।

यदि कार्यभार देने जाने के दिन से पन्द्रह दिन के अन्दर उस कार्यभार की कृपया के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो उसमें जो विनिर्देश किए गए हैं वे कार्यान्वित किए जाएंगे। परिषद् के सदस्यों को कार्यभार, कार्यकारिणी समिति द्वारा उसका पुष्टिकरण हो जाने के पश्चात्, देना जाएगा।

परन्तु अध्यक्ष, यह निर्देश दे सकता है कि कार्यकारिणी समिति के विनिर्देश पर कार्यवाई, उपर्युक्त पन्द्रह दिन की अवधि का अन्तर्गत होने से पहले की जाए।

भाग 7

समितियां

49. (1) परिषद् विभिन्न लिखित समितियों में से किसी समिति या सभी समितियों का गठन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सके जाने पर, किसी भी समय कर सकती है, अर्थात्

(क) शिक्षा समिति;

(ख) विनियम समिति;

(ग) विचार समिति;

(घ) एजिक्यूटिव समिति; और

(ङ) सम्पत्ति समिति।

(2) प्रत्येक समिति की शक्तियां और उसके कर्तव्य तथा सदस्यों की संख्या, उस समिति के गठन के समय अवधारित की जाएगी और जब तक कि परिषद् अध्यक्ष विनिर्दिष्ट न करे, प्रत्येक समिति को, उन कर्तव्यों के जो उसे दिए गए हैं, अर्थात् के अंतर्गत जाने वाले विषयों के बारे में विनिर्देश करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त होगी।

परन्तु उसके विनिर्देश विभिन्न लिखित मामलों में, परिषद् के अनु-समर्थन के अधीन होंगे, अर्थात् :-

(i) जब व्यापक नीति के विषय सम्बन्धित हों;

(ii) जब समिति के विनिर्देश से ऐसी मर्मां पर उल्लान भ्यय होना हो जो मंजूर किए गए बजट से अधिक एक हजार रुपए से अधिक हो

(iii) जब अधिनियम के उपबन्धों, विनियमों या परिषद् के स्मार्की धारकों के अनुसार परिषद् के आवेग का होना आवश्यक हो ।

(3) इन समितियों में से प्रत्येक समिति के चैयरमैन का निर्वाचन उसी समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा ।

(4) यदि समिति गठित की जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है तो प्रस्तावक समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम बताएगा और तब कोई सदस्य अन्य नामों को जोड़ने का प्रस्ताव करते हुए संशोधन पेश कर सकता है ।

(5) यदि समिति के सदस्यों के रूप में प्रस्ताव पित सदस्यों की संख्या उन सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं है जिनसे समिति का गठन होना है तो इस प्रकार प्रस्तावित सदस्य समिति के सदस्य के रूप में, नियुक्त किए जाएंगे । यदि इस प्रकार प्रस्तावित सदस्यों की संख्या उन सदस्यों की संख्या से अधिक है, जिससे समिति का गठन होना है तो मतदान कराया जाएगा और अपेक्षित संख्या में सदस्यों को जिनको अधिकतम संख्या में मत प्राप्त होते हैं, नियुक्त किया जाएगा ।

50. (1) परिषद् किसी अन्य समिति का गठन इस धातय का प्रस्ताव पारित हो जाने पर, किसी भी समय कर सकती है ।

(2) किसी समिति का गठन करने के प्रस्ताव में उस समिति के कृत्य और उसकी क्षमताया तथा उसके सदस्यों की संख्या परिशि-
चित की जाएगी ।

(3) कोई सदस्य उपयुक्त प्रस्ताव में ऐसा कोई संशोधन सुचना दिए बिना पेश कर सकता है जिसमें उसके द्वारा वह प्रस्तावित हो कि समिति के कृत्य और क्षमताया या उसके सदस्यों की संख्या बढ़ायी या बटायी जाए ।

51. (1) समिति की कार्यवाहियों का संचालन धान 1 में दिए गए विनियमों के अनुसार किया जाएगा परन्तु ऐसे विनियमों को, चैयर-
मैन के विवेकानुसार, किसी भी समय विधित किया जा सकता है ।

(2) किसी ऐसे संकल्प को, जिसे परिषद् द्वारा गठित समिति ने पारित किया है उस रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा जिससे अध्यक्ष के विवेकानुसार उसने स्वयं या सचिव ने तैयार की ही और जब समिति के सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब वह विस्मय के किसी टिप्पण (नोट) सहित, परिषद् के समक्ष उसके अपने अधिवेशन में प्रस्तुत की जाएगी किन्तु ऐसा प्रस्तुत किया जाना सुचना संबंधी विनियमों के उपबंधों के अधीन होगा ।

52. (1) प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या सधारणतया सात से अधिक नहीं होगी ।

(2) परिषद् का कोई भी सदस्य, दो से अधिक समितियों के लिए निर्वाचित या नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(3) परिषद् के अध्यक्ष की सहमति से समिति का चैयरमैन परिषद् के अधिक से अधिक किसी ऐसे एक सदस्य को सहमति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकता है जो उस विशिष्ट समिति का सदस्य नहीं है और इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति को समिति के विचार-विमर्श में भाग लेने की शक्त प्राप्त होगी किन्तु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा ।

परन्तु यदि वित्तीय प्रतिबन्धता धारण नहीं है तो किसी समिति का चैयरमैन जिन्ने भी सदस्यों को परिषद् के अध्यक्ष की सहमति से आमंत्रित कर सकता है और इस प्रकार आमंत्रित सदस्यों को उस समिति के विचार-विमर्श में भाग लेने की शक्त प्राप्त होगी किन्तु उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा ।

परिषद् के सचिव/रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों और तैयारों की पदावधि तथा क्षमताया और कर्तव्य

सचिव रजिस्ट्रार

53. सचिव/रजिस्ट्रार को पदावधि को उनकी नियुक्ति के समय परिषद् नियत करेगी । वह 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सामान्यतया सेवानिवृत्त हो जाएगा किन्तु उस बला में नहीं जब कि परिषद् ने अध्यक्ष प्रस्तावित किया है ;

परन्तु 58 वर्ष की आयु के आने उसकी सेवा का विस्तार अधिक से अधिक कुल दो वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया जा सकता है ।

54. (1) रजिस्ट्रार परिषद् का कार्यपालक अधिकारी होगा ।

(2) वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे अधिनियम और विनियमों द्वारा दीये गए हैं और जो अध्यक्ष द्वारा भी दिये गए हैं । वह परिषद् को सम्पत्ति की सुरक्षा, कार्यालय के निर्देशन और प्रबन्ध तथा लेखा (एकाउन्ट्स) और पत्र-
चार के लिए भी उत्तरदायी होगा । वह यह देखेगा कि कार्यालय के कार्यकारी ठीक समय पर उपस्थित होते हैं और वह साधारण तथा ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जिनको करने के लिए, उसके परिषद्, अधिनियम के प्रवीणों के लिए, प्रेषणा करे । वह परिषद्, कार्यकारिणी समिति और अन्य समितियों के अधिवेशनों की कार्यवाही में हाथिख रहेगा और उन्हें टिप्पणित करेगा ।

55. रजिस्ट्रार, परिषद् के किसी सदस्य की पदावधि का प्रवसान होने से कम से कम नब्बे दिन पहले, अध्यक्ष का ध्यान, होने वाली रिक्ति की ओर आकषित करेगा और अध्यक्ष उसके रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार से इस बात के लिए करेगा कि जिस तारीख को ऐसी रिक्ति होगी उस तारीख से, उसे भरने के लिए, नया सदस्य नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किया जाएगा ।

कर्मचारीवृन्द

56. अनुसचिवीय और सुब "द" के सदस्यों से 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सेवानिवृत्त होने की प्रेषणा की जाएगी ;

परन्तु परिषद् अपने विवेकानुसार अनुसचिवीय या निम्नतर श्रेण के कर्मचारी-
वृन्द के किसी सदस्य को पदावधि किसी अवधि के लिए, जो दो वर्ष से अधिक की नहीं होगी, बढ़ा सकती है ।

57. कर्मचारीवृन्द के कर्तव्य और उत्तरदायित्व बढी होंगे जो परिषद् द्वारा एते प्रवीणों के लिए विरचित स्वामी धारकों में, समय समय पर, अधिकावित किए जाएं ।

58. रजिस्ट्रार कार्यकारिणी समिति के अनुबोधान के अधीन रहते हुए, लिफ्टीय और सुप "ब" कर्मचारीवृन्द नियुक्त करेगा और ऐसे अस्थायी कामियों को काम पर लगा सकेगा जो समय-समय पर अपेक्षित हों और ऐसे कामियों को उचित दर पर परिश्रमिक का भुगतान कर सकेगा, परन्तु यह दर उस दर से अधिक नहीं होगी जो तत्समान स्वामी कर्मचारीवृन्द के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई है । ये नियुक्तियां परिषद् द्वारा अनुसमर्जन के अधीन होंगी ।

सम्पत्ति का प्रबन्ध, भित्त और लेखा

59. परिषद् के निर्वहण के अधीन रहते हुए, कार्य कारिणी समिति को, परिषद् की संपत्ति की रक्षा ऐसे सभी कार्य और कृत्य, जो परिषद् के प्रवीणन के लिए आवश्यक या समीचीन हों और उसमें से धन व्यय करने की पूर्ण क्षमति और अधिकार होगा और विशिष्ट रूप से तथा इस अनुबन्ध की व्यापकता पर प्रतिबन्ध प्रभाव वाले बिना, कार्यकारिणी समिति को यह क्षमति होगी कि वह -

- (क) परिषद् की संपत्ति की देखभाल प्रबंध करे और प्रबंध का पर्यवेक्षण करे तथा उक्त प्रबंधन के लिए पर्यवेक्षण बन व्यय करे;
- (ख) सभी रेंटों, भाटकों, करों या अन्य देव रकमों का संग्रहण करे;
- (ग) बाग, कच, विनिमय, पट्टे द्वारा या अन्यथा की गई संपत्ति का अर्जन करे तथा परिषद् की किसी भूमि, भवन और अन्य जगह या स्थावर संपत्ति का विक्रय करे, उसे बन्धक रखे या उसका हस्तगत व्ययन करे;
- (घ) कोई भवन या संरचना बनाए, उनका निरीक्षण करे, मरुदाखन करे, उसे निराए, उनमें परिवर्तन, विस्तार, सुधार करे और उसकी मरम्मत करे; और
- (ङ) अपनी कोई व्यक्ति प्रबंध, उपाय, समिति, एजेंट के किसी प्राधिकारी या अधिकारी को प्रत्यावोधित करे :
परन्तु कार्यकारी समिति, परिषद् की अध्यक्ष या स्थावर संपत्ति की देखभाल की गई किसी भी कार्यवाही के बारे में पूरी जानकारी परिषद् के प्रत्येक अधिकारी में प्रस्तुत करेगी :
परन्तु यह और कि यदि कच (ग) और (घ) में बर्णित किसी संपत्ति का मूल्य दो हजार रुपए से अधिक है तो उसका विक्रय, पट्टा या कोई अन्य अंतरण, परिषद् की पूर्ण मंजूरी के बिना, नहीं किया जाएगा ।

80. परिषद् को अपने व्यय के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुमति लेकर प्राविष्ट व्यक्तियों और निवासियों के दान या संस्कार प्राप्त करने के लिए और रिपोर्टों तथा अन्य प्रकल्पों के विषय प्रामाण्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

81. परिषद् के बकर भारतीय स्टेट बैंक को स्थायी शाखा होगी । परिषद् की सभी विधियां उस बैंक में परिषद् के खाते में, जमा की जाएंगी और उसमें से बन ऐसे बैंक द्वारा निकाला जाएगा जिस पर प्रत्यक्ष ने या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित ने और रजिस्ट्रार ने भी, हस्ताक्षर किए हों । बैंक बुर रजिस्ट्रार की वैयक्तिक अधिकारता में रहेगी ।

82. परिषद् की जो निधि उसकी सामयिक आवश्यकताओं के अधिक है उसका विनिधान, रजिस्ट्रार की सिफारिश और वित्त समिति की मंजूरी के, निम्नलिखित रीति से किया जायगा :-

- (i) किसी राज्य सरकार का भारत सरकार के वकालतों, स्टाक या अन्य प्रतिभूतियों में;
- (ii) कंपनियों के स्टाक, डिबेंचरों या शेयरों में, जिस पर व्याज की गारंटी भारत सरकार द्वारा की गई है ;
- (iii) भारत में स्थापित विधानमण्डल के किसी अधिनियम के प्राधिकार के प्रवीण धनवा नगर पुजार न्यास (सिटी इन्ड्रुवमेंट ट्रस्ट, नगरपालिका निकाय) पत्तन न्यास या नगर पुजार न्यास द्वारा या उसको और से इन के लिए जारी किए गए डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों में ।

83. परिषद् की निधि का विनिधान परिषद् के नाम से किया जाएगा । सुरक्षित धारिता (सेफ कस्टडी) के लिए रखी, रजिस्ट्रार के किसी भारतस्थान (परमन कार्क) में रखी और उक्त उपायन उक्त नगर में एक बार उक्त प्रतिभूति-रजिस्टर में किया जाएगा जो इस बात के विधिकार 71 के अधीन रखा गया है और सत्यापन का प्रमाणपर रजिस्टर में रजिस्ट्रार द्वारा अधिलिखित और प्रत्यक्ष द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

84. वित्त समिति अपने वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकारों और अन्य का अधीन-वार प्राकल्पन तैयार करेगी और उसे कार्यकारी समिति के अनुवीक्षण के लिए उसके ऐसे प्रत्येक अधिकारी में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रवीक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष मन्त्रपर के प्रथम अर्द्ध में किया जाने जाता है । मन्त्रपर मन्त्रपरण के एक प्रति परिषद् को और दूसरी प्रति केन्द्रीय सरकार के स्थाय्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रपर के समिक को, प्रत्येक वर्ष में । मन्त्रपर उक्त प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

85. परिषद् की निधि का विनिधान किसी ऐसी मर पर व्यय के लिए नहीं किया जाएगा जिसके लिए, ब्याजविधि, परिवार या मन्त्रपर या रजिस्ट्रार के सम्बन्ध रूप से मंजूरी न दी हो ।

86. विनिधान की प्राथमिक क्रमदर्शन, "कार्यकारी का वेतन", "स्वा-यन (एस्टैब्लिशमेंट) का वेतन" "मरी और मानवेय", "प्राकारिकताएं" और "सूची, पैसा या अधिकारिक संस्थापन" होगी ।

87. अध्यक्ष को वह अधिक होगी कि वह मंजूर की गई कुल प्राकल्पित मन्त्रपर के प्रत्येक किसी एक मर के लिए निधि में, किन्तु अपने प्राक् विनिधान का पुनः विनिधान किसी दूसरी मर के लिए करे । ऐसे पुनः विनिधान को मंजूर करने वाले प्राक्कों की प्रतियां कार्यकारी समिति को भेजी जाएंगी ।

88. रजिस्ट्रार को किसी प्रवीण और प्राकल्पित प्रकृति के प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक पांच-सी रुपये तक व्यय मंजूर करने की अधिक होगी । इस एक से अधिक व्यय के लिए अध्यक्ष की मंजूरी पर्यवेक्षित होगी ।

89. रजिस्ट्रार को संकली करने वाली अधिक से कम में दिए जाएंगे ।

90. रजिस्ट्रार, परिषद् के अध्यक्षों, निरीक्षकों, परिषदों और अन्य कार्यकारी की सेवा, विधान तथा अन्य मरों का प्रमाणपूर्ण प्राधिकार होगा और रजिस्ट्रार की इन कार्यों के लिए अध्यक्ष मन्त्रपरणों प्राधिकारी होगा ।

91. परिषद् के निम्नलिखित सेवा रजिस्टर रखी जाएंगे :-

1. रीकड बुकी ।
2. सर्वोच्च संविधि ।
3. प्रतिभूति रजिस्टर ।
4. स्टाक और कर्बीयर रजिस्टर ।
5. बैंक-मूक स्टाक रजिस्टर ।
6. सूची और पैसा-संस्थापन रजिस्टर ।
7. स्थायी अधिक रजिस्टर ।
8. धार्मिक सेवा ।
9. कोई अन्य रजिस्टर ।

92. विनिधान की प्राथमिक क्रमदर्शनों के अनुसार पर्यवेक्षित संपत्ति के रूप में अधिक सेवा तैयार किया जाएगा । अनुचित बीच प्रकाशना रजिस्ट्रार के विवेकानुसार खोती या खोती और रजिस्ट्रार सभी सेवाओं को सम्बन्ध रूप में तैयार करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

93. (1) परिषद् के सेवाओं की परीक्षा प्रतिवर्ष भारत के निर्यन्त्र महासेवापरीक्षक द्वारा या उसके नाम-निर्देशितों द्वारा की जाएगी । यदि भारत का निर्यन्त्र महासेवापरीक्षक परिषद् के सेवाओं की परीक्षा करने से इनकार करता है तो परिषद् केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुवीक्षण में किसी पार्टेंट एगजामिनेट को नियुक्त कर सकती है । एसी सेवा-परीक्षा के सम्बन्ध में उक्त कोई अन्य परिषद् द्वारा देय होगा ।

(2) परिषद् के सेवाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में भारत के निर्यन्त्र-महा-सेवा परीक्षक के तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के, ऐसी सेवा-परीक्षा के सम्बन्ध में, के ही अधिकार और विवेकाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो निर्यन्त्र महासेवापरीक्षक के सरकारी सेवाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में होते हैं और विधिवत्-तथा उसे अधिक, सेवा, सम्बन्ध आउपर तथा अन्य आवश्यक हस्तावेजों और कागज-पत्र वेंत किए जाने की मांग करने का अधिकार होगा ।

(3) सेवा-परीक्षक परिषद् को सेवा-परीक्षा का परिधान संयुक्त करेगा और उस पर कार्यकारी समिति द्वारा विचार कर किए जाने के पश्चात् सेवा-परीक्षा की रिपोर्ट और परीक्षित सेवाओं का विवरण भारत सरकार के स्थाय्य और परिवार कल्याण मन्त्रपरण को भेजा जाएगा । उसी समय सेवा-परीक्षा की रिपोर्ट परिषद् के सभी सदस्यों की जानकारी के लिए, उनके बीच, परिचालित की जाएगी ।

परन्तु यदि परीक्षित सेवाओं के मन्त्रपर में सरकारी अनुदान का विषय जाना एक जाता है तो सम्बन्ध सेवा-परीक्षक से पर्यवेक्षित सेवा प्राप्त होते ही उन्हें तत्काल केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

New Delhi, Dated 15th November 1984

No. 7-1/83-CCH.—In exercise of the powers conferred by clauses (b) to (g) of section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), Central Council of Homoeopathy with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:—

1. These Regulations may be called the Central Council of Homoeopathy (General) Regulations, 1973.

2. In these regulations, unless the context otherwise requires—

- (a) 'Act' means the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973);
- (b) 'Council' means the Central Council of Homoeopathy constituted under the Act;
- (c) 'Employee of the Council' means persons appointed under clause (b) of section 11 of the Act to carry out the purposes of the Act;
- (d) 'Executive Committee' or 'Committee' means the Executive Committee or Committee constituted under sub-section (1) of section 9 of the Act;
- (e) 'Group D staff' included the Daftries, Jamadars, Peons, Chowkidars and Sweepers appointed under clause (d) of section 11;
- (f) 'Inspector' means a medical inspector appointed under sub-section (1) of section 17 of the Act;
- (g) 'Member' means a member elected or nominated under section (1) of section 3 of the Act;
- (h) 'Ministerial staff' means the Superintendent, Head-clerks, Accountant, Clerks, Stenographers, Typists, Gestetner Operators, appointed under clause (b) of section 11;
- (i) 'President' means the President of the Council elected or nominated under sub-section (2) of section 3 of the Act;
- (j) 'Vice-President' means the Vice-President of the Council elected or nominated under sub-section (2) of section 3 of the Act;
- (k) 'Registrar' or 'Secretary' means the Registrar of the Council appointed under clause (a) of section 11 of the Act, also acting as the Secretary of the Council;
- (l) 'Visitor' means a visitor appointed under sub-section (1) of section 18 of the Act;

3. The office of the Council shall be situated in Delhi.

PART I

Time, place of and preparation of business at meetings of the Council

4. (1) Meetings of the Council shall ordinarily be held at Delhi or at such other places and on such dates and time as may be decided by the Council.

Provided that the President may call a special meeting at any time on 15 days' notice:—

- (i) to deal with any urgent matter requiring the attention of the Council;
- (ii) for a purpose referred to in Regulation 8 (1) (b)
- (ii) on a requisition signed by not less than 50% of the total members of the Council for a purpose which is within the scope of the Council's functions, not being a purpose referred to in clause (ii).

(2) The first meeting of the Council held in any financial year shall be the Annual Meeting of the Council for that year.

5. At meetings referred to in the proviso to Regulation 4 (1) only the subject or subjects for the consideration of which the meeting has been called shall be discussed.

Notice of Meetings

6. (1) Notice of every meeting other than a special meeting called under the proviso to Regulation 4 (1) or under the first proviso to Regulation 8 (1) (b) shall be despatched by the Secretary to each member of the Council not less than 30 days before the date of the meeting.

(2) Notice of every meeting of the Council shall be despatched under certificate of posting and non-receipt of any notice shall not however invalidate the proceedings of any meeting.

Agenda Papers

7. (1) The Secretary shall issue with the notice of the meeting a preliminary agenda paper showing the business to be brought before the meeting, the terms of all motions to be moved of which notice in writing has previously reached him and the names of the movers.

(2) A member who wishes to move any motion not included in the preliminary agenda paper or an amendment to any item so included shall give notice thereof to the Secretary not less than 15 clear days before the date fixed for the meeting.

(3) The Secretary shall not less than 15 clear days before the date fixed for the meeting and in the case of a special meeting with the notice of the meeting, issue a complete agenda paper showing the business to be brought before the meeting.

(4) A member who wishes to move an amendment to any item included in the complete agenda paper, but not included in the preliminary agenda paper shall give notice thereof to the Secretary not less than 3 clear days before the date fixed for the meeting.

(5) The Secretary shall, if time permits, cause a list of all amendments, of which notice has been given under clause (4) to be made available for the use of every member.

Provided that the President may, if the Council agrees, allow a motion to be discussed at a meeting not withstanding the fact that notice was received too to admit of compliance with this Regulation.

Provided further that nothing in this Regulation shall operate to prevent under special circumstances the reference by the Executive Committee of any matter to the Council at a meeting following immediately or to soon after the meeting of the Executive Committee to permit of the notice required under this Regulation.

Admissibility of Motion

8. (1) The President shall disallow any motion:—

- (a) if the matter to which it relates is not within the scope of the Council's functions;
- (b) if it raises substantially the same question as a motion or amendment which has been moved or withdrawn with the leave of the Council within one year of the date of the meeting at which it is to be moved:

Provided that such a motion may be admitted at special meeting of the Council convened for the purpose on the requisition of not less than two thirds of the members of the Council;

Provided further that nothing in these Regulations shall operate to prohibit the further discussion of any matter referred to the Council by the Central Government in the exercise of any of its functions under the Act;

(c) unless it is clearly and precisely expressed and raises substantially one definite issue.

- (d) if it contains arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements :

Provided that if a motion can be rendered admissible by amendment, the President may in lieu of disallowing the motion admit it in an amended form.

- (2) When the President disallows or amends a motion the Secretary shall inform the member who gave the notice of the motion of the order of disallowance or, as the case may be, of the form in which the motion has been admitted.

PART II

Conduct of Business at Meetings of the Council

9. (1) Every meeting of the Council shall be presided over by the President, or if he is absent, by the Vice-President or, if both the President and the Vice-President are absent, by a Chairman to be elected by the members present from among themselves.

- (2) All references in this part to the President shall be read as referring to the person for the time being presiding over a meeting.

10. If, at the time appointed for a meeting, a quorum is not present, the meeting shall not commence until a quorum is present, and if a quorum is not present, on the expiration of 30 minutes from the time appointed for the meeting or during the course of any meeting, the meeting shall stand adjourned to such future time and date as the President may appoint. 1/3 of the total members of the Central Council shall constitute a quorum.

- 11 (1) Every matter to be determined by the Council shall be determined on a motion moved by a member and put to the Council by the President.

- (2) Votes shall be taken by show of hands or by division or by ballot, as the President may direct :

Provided that votes shall be taken by ballot if three members so desire and ask for it :

Provided further that if voting has been by show of hands, a division shall be taken if at least one member asks for it.

- (3) The President shall determine the method of taking votes by division.

- (4) The result of the vote shall be announced by the President and shall be final.

- (5) In the event of an equality of votes the President shall have a second or a casting vote.

12. When motions identical in purport stand in the names of two or more members, the President shall decide whose motion shall be moved and the other motion or motions shall thereupon be deemed to be withdrawn.

13. (1) Every motion or amendment shall be seconded and if not seconded shall be deemed to have been withdrawn.

- (2) When a motion has been seconded it shall be stated from the Chair.

- (3) When a motion has been thus stated, it may be discussed as a question to be resolved either in the affirmation or in the negative or any member may, subject to Regulations 14 and 15, move an amendment to the motion :

Provided that the President shall not allow an amendment to be moved which, if it has been a substantive motion, would have been inadmissible under Regulation 5.

14. (1) An amendment must be relevant to and within the scope of the motion to which it is proposed.

- (2) An amendment may not be moved which has merely the effect of a negative vote.

- (3) The President may refuse to put to the Council an amendment which in his opinion is frivolous.

15. A motion may be amended by —

- (a) the omission, insertion or addition of word, or words;
(b) the substitution of words for any of the original words.

16. (1) When a motion or amendment is under debate, no proposal with reference thereto shall be made other than :—

- (a) an amendment of the motion or of the amendment as the case may be, as proposed in Regulation 13;

- (b) a motion for the adjournment of the debate on the motion or amendment either to a specified date and hour or sine die;

- (c) a motion for the closure, namely a motion that the question be now put;

- (d) a motion that the Council instead of proceeding to deal with the motion do pass to the next item on the programme of business;

Provided that no such motion or amendment shall be moved so as to interrupt a speech;

Provided further that no motion of the nature referred to in clauses (b), (c) and (d) shall be moved or seconded by a member who has already spoken to the question then before the meeting.

Provided also that a motion referred to in clauses (c) and (d) shall be moved without a speech.

- (2) It shall be in the discretion of the President to put or refuse to put to the Council a proposal of the nature referred to in clause (b) of sub-regulation (1).

- (3) Unless the President is of opinion that a motion for closure is an abuse of the right of reasonable debate he shall forthwith put a motion that the question be now put and if that motion is carried the substantive motion or amendment under debate shall be put forthwith.

Provided that the President may allow the mover of the substantive motion to exercise his right of reply before the substantive motion under debate is put.

17. A motion or an amendment which has been moved and seconded, shall not be withdrawn save with the leave of the Council which shall not be deemed to be granted, if any member dissociates from the granting of leave.

18. When a motion has been moved and seconded, members other than the mover and the seconder may speak on the motion in such order as the President may direct :

Provided that the seconder of a motion or of an amendment may, with the permission of the President, confine himself to seconding the motion or amendment, as the case may be, and speak thereon at any subsequent stage of the debate.

19. During the meeting, the President may, at any time, make any objections or suggestions or give information to elucidate any point to help the members in the discussion.

20. (1) The mover of an original motion, and if permitted by the President, the mover of any amendment, shall be entitled to a right of final reply; no other member shall speak more than once to any debate except, with permission of the President, for the purpose of making a personal explanation or of putting a question to the member then addressing the Council :

Provided that any member at any stage of the debate may rise to a point of order, but no speech shall be allowed on that point :

Provided further that a member who has spoken on a motion may speak again on the amendment subsequently moved to the motion.

- (2) No member shall, save with the permission of the President, speak for more than five minutes :

Provided that the mover of a motion when moving the same may speak for ten minutes.

- (3) A speech shall be strictly confined to the subject matter of the motion or amendment on which it is made.

- (4) Any motion or amendment standing in the name of a member who is absent from the meeting or unwilling to move it, may be brought forward by another member with the permission of the President.

PART III*Minutes of the Council*

21. (1) A member desiring to make any observations on the matter before the Council, shall rise in his place and address the President.

(2) If at any time the President rise any member speaking shall immediately resume his seat.

22. No member shall be heard except upon the business before the Council.

23. (1) When an amendment to any motion is moved and seconded or when two or more such amendments are moved and seconded, the President shall, before taking the sense of the Council thereon state or read to the Council the terms of the Original motion and of the amendment or amendments proposed.

(2) An amendment to a motion shall be put to the vote first.

(3) If there be more than one amendment to a motion the President shall decide in what order they shall be taken.

24. When any motion involving several points has been discussed it shall be in the discretion of the President to divide the motion, and put each or any point separately to the vote as he may think fit.

25. (1) The President may, if he deems necessary due to exigencies, at any time, adjourn any meeting to any future day or to any hour of the same day and state the reasons therefor.

(2) Whenever a meeting is adjourned to a future day, the Secretary shall, if possible, send notice of the adjournment to every member who was not present at such meeting.

(3) When a meeting has been adjourned to a future day the President may change such day to any other day for compelling reasons and the Secretary shall send written notice of the change to each member.

(4) At a meeting adjourned to a future day any motion standing over from the previous day shall, unless the President otherwise directs, take precedence over other matters on the agenda.

(5) The President or a member may suggest a change in the order of business on the agenda, either at the beginning of the meeting or after the conclusion of the debate on a particular item during the meeting and if the Council agrees such a change shall be made.

(6) No matter which had not been on the agenda of the original meeting shall be discussed at an adjourned meeting.

(7) The same quorum shall be necessary for an adjourned meeting as for an ordinary meeting.

26. (1) The President shall decide all points of order which may arise, and his decision shall be final.

(2) If any question arises with reference to procedure in respect of a matter for which these regulations make no provision, the President shall decide the same and his decision shall be final.

(3) The President shall direct any business, which it may be necessary for the Council or the Executive Committee to discuss and decide, to be transacted by circulation among the members of the Council or the Executive Committee :

Provided that if ten members of the Council or three members of the Executive Committee, as the case may be, desire that any particular subject shall be decided at a meeting instead of by circulation, it shall be placed before a meeting of the Central Council or the Executive Committee.

(4) Any resolution or report which is circulated as stated above and approved by a majority of the members signing shall be binding as a resolution adopted, as if, in a meeting of the Council or the Executive Committee.

27. Four representatives of the Press at the discretion of the President and other visitors, not exceeding four at a time, may be admitted to the meeting on production of permits from the Secretary. The Press representatives shall be required to obtain the previous approval of the Secretary to the publication of their report of the proceedings. The President at any time may hold the meeting in camera in which case all visitors will be required to withdraw.

28. The proceedings of the meetings of the Council shall be preserved in the form of printed minutes which shall be authenticated, after confirmation, by the signature of the President.

29. A copy of the minutes of each meeting shall be submitted to the President within 10 days of the meeting and attested by him and they shall then be sent to each member within 30 days of the meeting.

30. The minutes of each meeting shall contain such motions and amendments as have been moved and adopted or negatived with the name of the mover and the seconder, but without any comment and without any record of observations made by any member at the meeting.

31. If any objection regarding the correctness of the Minutes is received within 30 days of the despatch of the Minutes by the Secretary, such objection together with the Minutes as recorded and attested shall be put before the next meeting of the Council for confirmation. At the meeting no question shall be raised except as to the correctness of the records of the meeting :

Provided that if no objection regarding a decision taken by the Council at a meeting is received within 30 days of the despatch by the Secretary of the minutes of that particular meeting, such decision may, if expedient be put into effect before the confirmation of the minutes at the next meeting :

Provided further that the President may direct that action by taken on a decision of the Council before the expiry of the period of 30 days mentioned above.

32. The minutes of the Council shall, as soon as is practicable after their confirmation, be made up in sheets and consecutively paged for insertion in a volume which shall be permanently preserved. A copy of volumes shall be supplied free to each member of the Council; and such copies may be sold to the public at a price to be fixed by the Council.

33. A report shall be kept of the observations and of the discussions at the meetings of the Council in as accurate a manner as possible for the members of the Council. The detailed proceedings of the meetings which shall be treated as 'Confidential' shall be kept in the office and shall be open to members for inspection. A copy of the proceedings in full or in part shall be supplied to any member who may apply for it. Such copy shall be 'confidential' and be supplied on the payment of sum—fixed by the President and such sum not to exceed the cost of copying. No copy of proceedings held in camera shall be supplied but such proceedings can be inspected by the members.

PART IV*Powers and Duties of the President and Vice-President*

34. The President shall exercise such powers and perform such duties as are contained in the provisions of the Act, the regulations, and standing orders of the Council. He shall do such acts as he considers necessary in furtherance of the objects for which the Council is established.

In case of urgency, the President may take the necessary action and intimate the fact to the Executive Committee and the Council provided that no such action shall be taken in anticipation of approval in matters of large policy or principle or involving an expenditure exceeding Rs. 10,000 from the sanctioned budget.

35. If the office of the President is vacant or if the President for any reason is unable to exercise the powers or perform the duties of his office, the Vice-President shall act in his place and shall exercise the powers and perform the duties of the President.

PART V

Resignation and Filling of Casual Vacancies

36. A member desiring to resign his seat on the Council shall send his resignation in writing to the President and his resignation shall take effect from the date specified by him in this behalf or from the date of receipt of his letter by the President whichever is later, after confirmation from the member concerned.

37. When a casual vacancy occurs by reason of death or resignation of a member, a report shall be made forthwith by the President to the Central Government for necessary action.

PART VI

The Executive Committee - Functions of Meetings etc.

38. The meetings of the Executive Committee shall be generally governed by the Regulations applicable to the meetings of the Council.

39. If at the time appointed for a meeting of the Executive Committee a quorum is not present the meeting shall not commence until a quorum is present, and if a quorum is not present on the expiration of an hour from the time appointed for the meeting or during the course of any meeting, the meeting shall stand adjourned to such future date and time as the President may appoint. 1/3 of the total members of the Executive Committee shall form a quorum.

40. If both the President and the Vice-President are absent the members present shall elect one of the members present to act as Chairman.

41. When a meeting of the Executive Committee is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the adjourned meeting.

42. (1) The term of office of an elected member of the Executive Committee shall be for 2½ years from the date of his election or till the next Executive Committee takes over after its election, whichever is later.

Notwithstanding anything contained herein, the Executive Committee shall cease to function with the termination of the Council that elects the Committee, irrespective of the reasons for termination of the Council.

(2) A member of the Executive Committee shall be eligible for re-election.

43. The Executive Committee may invite a member of the Council, who is not a member of the Executive Committee to attend any meeting of the Executive Committee. Any member so invited shall be free to participate in the discussions of the Executive Committee but shall not have the right to vote.

44. Within one week before the meeting of the Council, the Executive Committee shall ordinarily meet at the same place as of the Council meeting. The other meetings of the Executive Committee may take place at such other times and places as the President may determine.

Notice and agenda of such meetings of the Executive Committee shall ordinarily be given not less than 12 days before the meeting.

45. The Executive Committee shall consider the report on any subjects referred to it by the Council or by the President.

46. The Executive Committee shall take into consideration the reports of the course of study, facilities for teaching and examinations submitted by inspectors/visitors and shall thereupon prepare a report for submission to the Council.

47. The Executive Committee shall exercise all the powers of the Council in the implementation of the decisions of the Council and shall have the power to take decisions on behalf of the Council in all matters except those falling in the

sphere of other Committees. It shall also perform all the functions of the Council of administrative nature :

Provided that this shall not apply to matters of large policy or principle or involving an expenditure exceeding Rs. 25,000/- per annum from out of the sanctioned budget provision of the Council.

48. A copy of the minutes of each meeting of the Executive Committee shall be submitted to the President within 15 days of the meeting, and after having been attested by him shall be sent to each member of the Executive Committee within 20 days of the meeting.

If no objection to their correctness is received within 15 days of their despatch, any decision therein shall be given effect to. The minutes shall be sent to the members of the Council after confirmation by the Executive Committee.

Provided that the President may direct that action be taken on a decision of the Executive Committee before the expiry of the period of 15 days mentioned above.

PART VII

COMMITTEES

49. (1) The Council may at any time, on the adoption of a motion to this effect, constitute any or all of the following Committees, namely :—

- (a) Education Committee;
- (b) Regulations Committee;
- (c) Finance Committee;
- (d) Registration Committee; and
- (e) Liaison Committee.

(2) The powers and functions of each Committee and the number of its members shall be determined at the time of the constitution of the Committee and unless the Council otherwise specifies, each Committee shall have full power, within the sphere of the functions assigned to it, to take decisions :

Provided, however, that its decisions shall be subject to ratification by the Council in the following cases, namely :—

- (i) where matters of large policy are involved.
- (ii) where the Committee's decision involves an expenditure on items exceeding Rs. 1,000/- per annum from out of the sanctioned budget;
- (iii) where according to the provisions of the Act, regulations or standing orders of the Council, orders of the Council, are necessary.

(3) The Chairman of each of these Committees shall be elected by respective members of the Committee.

(4) If a motion for appointment of a Committee is adopted, the mover shall name the members to be appointed as members of the Committee and any member may then move amendments proposing the addition of other names.

(5) If the number of members proposed as members of the Committee does not exceed the total number of members to form the Committee, the members so proposed shall be appointed as member of the Committee. If the number of members so proposed exceeds the total number of members to form the Committee, ballot shall be held and the requisite number of members who obtain the largest number of votes shall be appointed.

50. (1) The Council may at any time, on the adoption of a motion to this effect, appoint any other Committee.

(2) A motion for the appointment of Committee shall define the functions and powers of the Committee and the number of its members.

(3) Any member may without notice move an amendment to such a motion proposing that the functions and powers or the number of its members be enlarged or reduced.

51. (1) The proceedings of the Committee shall be conducted in accordance with Regulations contained in part I, provid-

ed: that such regulations may at any time be relaxed at the discretion of the Chairman.

(2) A resolution passed by a Committee appointed by the Council shall embodied in a report prepared by the Secretary or by the Chairman at the latter's discretion, and when signed by the members of the Committee shall, with any notes of dissent, be presented to the Council at its next meeting subject to the provisions of the Regulations regarding notice.

52. (1) The number of members in each Committee shall not ordinarily exceed seven.

(2) No member of the Council shall be elected or appointed on more than two Committees.

(3) The Chairman of a Committee with the consent of the President, may invite not more than one member of the Council to attend any meeting of the Committee, who is not a member of that particular Committee but the person so invited shall be free to participate in the discussions of the Committee but shall not have the right to vote.

Provided that where financial commitment is not involved, any number of members can be invited by the Chairman of a Committee with the consent of the President but such invited members shall be free to participate in the discussions of the Committee but shall not have the right to vote.

PART-VIII

Tenure of office and powers and duties of Secretary-Registrar and other officers and servants of the Council.

Secretary/Registrar

53. The term of office of the Secretary/Registrar shall be fixed by the Council at the time of appointment. He shall normally retire on attaining the age of 58 years unless otherwise determined by the Council :

Provided that he may be granted extension of service beyond 58 years for a total period not exceeding two years.

54. (1) The Registrar shall be the Executive Officer of the Council.

(2) He shall perform such duties as have been assigned in the Act and the Regulations and also as assigned by the President. He shall also be responsible for the safety of the property of the Council, the control and management of the office and for the accounts and correspondences.

He shall see that the office staff attend punctually, and generally fulfill all such duties as may be required of him by the Council for the purposes of the Act. He shall attend and take notes of the proceedings of meetings of the Council, the Executive Committee and other Committees.

55. The Registrar shall, not less than 90 days before the expiration of the term of any member of the Council, draw the attention of the President to the approaching vacancy and the latter shall forthwith report it to the Central Government in order that a new member may be nominated or elected to fill the vacancy from the date on which the vacancy occurred.

Staff

56. Members of the ministerial and Group 'D' staff shall be required to retire on attaining the age of 58 years:

Provided that the Council may at their discretion extend the tenure of a member of the ministerial or lower-grade staff for any period not exceeding two years.

57. The duties and responsibilities of the staff shall be such as may be laid down from time to time in the standing orders as framed for the purposes by the Council.

58. Subject to the approval of the Executive Committee, the Registrar shall appoint the clerical and Group 'D' staff and may engage such temporary personnel as may be required from time to time, and pay a reasonable rate of remuneration to such personnel, provided it does not exceed the rate sanctioned by the Central Government for corresponding permanent staff. These appointments shall be subject to ratification by the Council.

PART-IX

Management of Property, Finance and Accounts

59. Subject to the control of the Council, the Executive Committee shall have full power and authority to do all such acts and deeds in respect of the property of the Council which may be necessary or expedient for the purpose of the Council and expend money therefrom, and in particular and without prejudice to the generality of this provision, the Executive Committee shall have power—

- (a) to look after, manage and supervise the management of the property of the Council and to expend money required for that purpose;
- (b) to pay all rates, rents, taxes, salaries or other dues;
- (c) to acquire by gift, purchase, exchange, lease or otherwise hand over and to sell, mortgage or otherwise dispose of any lands, buildings and other moveable or immovable properties of the Council;
- (d) to build, construct, maintain, pull down, alter, extend, improve and repair any building or structure; and
- (e) to delegate any of its powers to the President, Vice-President, Committee, any authority or Officer of the Council :

Provided that the Executive Committee shall place before the next meeting of the Council full information about any action taken in respect of the moveable or immovable property of the Council:

Provided further that no sale, lease or any other transfer of immovable property as mentioned in clauses (c) and (d) exceeding two thousand rupees in value shall be made without the previous sanction of the Council.

60. The Council is authorised to receive, for the purpose of its expenses, benefactions and contributions from private persons and bodies with the prior permission of the Central Government, and the proceeds of the sale of reports and other publications.

61. The Bankers of the Council shall be the local branch of State Bank of India. All funds of the Council shall be paid into the Council's account with that Bank and shall be withdrawn by means of cheques jointly signed by the President or in his absence Vice-President and the Registrar. The cheque books shall remain in the personal custody of the Registrar.

62. The funds of the Council surplus to current requirements may on recommendation by the Registrar and with the sanction of the Finance Committee be invested in the following manner :—

- (i) in promissory notes, stock or other securities of any State Government or of the Government of India;
- (ii) in stock or debentures of or shares in companies the interest whereon shall have been guaranteed by the Government of India;
- (iii) in debentures or other securities for money issued under the authorities of an Act of a legislature established in India, by or on behalf of any Municipal Body, Port Trust or city improvement Trust.

63. An investment of the funds of the Council shall be made in the name of the Council. The safe custody receipts shall remain in the personal charge of the Registrar and shall be verified once in six months with the register of Securities maintained under Regulation 71 of this part and

a certificate of verification shall be recorded by the Registrar on the register and countersigned by the President.

64. The Finance Committee shall prepare detailed estimates of receipts and expenditure for the next financial year and shall submit the same for approval by the Executive Committee at its next meeting to be held for the purpose before the first of November every year. One copy of the sanctioned estimates shall be submitted to the Council and another to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare of the Central Government by the 1st of November every year.

65. The funds of the Council shall not be appropriated for expenditure on any item which has not been duly sanctioned by the Council or by the President or Registrar, as the case may be.

66. The Primary units of appropriations shall be "pay of officers", "pay of establishment", "allowance and honoraria", "contingencies" and "leave and pension or provident fund contribution".

67. The President shall have power to reappropriate funds from one unit of appropriation to another within the total sanctioned estimates. Copies of orders sanctioning such reappropriation shall be communicated to the Executive Committee.

68. The Registrar shall have power to sanction expenditure on miscellaneous and contingent nature upto an amount not exceeding Ra. 500/- in each case. Expenditure in excess of that amount shall require the sanction of the President.

69. A permanent advance of Ra. 500/- shall be made to the Registrar.

70. The Registrar shall be the certifying officer for travelling, halting and other allowances to Members, Inspectors, Visitors and other employees of the Council and the President for those of the Registrar.

71. The following account registers of the Council shall be maintained :—

1. The Cash Book
2. The Classified Abstract.
3. The Register of Securities

4. The Register of Stock and Furniture.
5. The Register of Stock of Cheque Books
6. The Register of leave and pension contribution
7. The Register of permanent advances.
8. Annual Accounts
9. Any other Register

72. Monthly accounts shall be compiled in the classified abstract according to the primary units of appropriation. Suitable secondary units may be opened at the discretion of the Registrar who shall be responsible for the due preparation and maintenance of all accounts.

73. (1) The Accounts of the Council shall be audited annually by the Comptroller and Auditor-General of India or his nominee. If the Comptroller and Auditor General of India declines to undertake the auditing of the accounts of the Council, the Council may appoint a Chartered Accountant with the prior approval of the Central Government. Any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Council.

(2) The Comptroller and Auditor-General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Council shall have the same right privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General has in connection with the audit of Government accounts and in particular shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other necessary documents and papers.

(3) The result of the audit shall be communicated by the auditor to the Council and after the Executive Committee has considered the same, the audit report and the audited statement of accounts shall be forwarded to the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Copies of the audit report shall at the same time be circulated to all the members of the Council, for information.

Provided, however, if release of Government grant is held up for want of audited accounts, President may forward the audited accounts to the Central Government immediately on receipt of the same from the Auditor.

DR. P. L. VERMA
Secretary
Central Council of Homoeopathy

